तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 49/2018 अनवान नेमाराम बनाम तहसीलदार बाड़मेर**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 25.05.2018 अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाड़मेर	
25.05.2018	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र जालीपा पर पेश हुई। प्रार्थीगण अनुपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर उपस्थित। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद धारा 88 व 92 (क) के तहत प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम जालीपा पटवार क्षैत्र जालीपा के खेत खसरा संख्या 426/169 रकबा 16.00 बीघा एवं खसरा संख्या 447/169 रकबा 10.00 बीघा के आये हुए है। प्रार्थीगण का कथन है कि शैतानसिंह नाम के व्यक्ति द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध एक झूठी शिकायत राजस्थान पोर्टल पर दर्ज करवाई, जिसकी जांच अप्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर द्वारा दिनांक 12.12.2017 को की, जिसमें प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना सुचना दिये फर्द मौका तैयार किया गया, जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण मान कर उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी तहसीलदार बाड़मेर को प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार की बेदखल करने की कार्रवाई नही करे, के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया है कि तहसीलदार बाड़मेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2017/6268 दिनांक 14.12.2017 से परिवादी शैतानसिंह एवं समस्त ग्राम वासी जालीपा द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है। उक्त जांच प्रतिवेदन एवं मौका फर्द से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 167 गैर मुमकीन रास्ते पर कतिपय लोगो का	

सहायक कलक्टर (SDC) बाड़मेर

Scanned by CamScanner